

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.
अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम :	बैलाडीला लौह अस्यक खान, निक्षेप कं 04, मे लौह अयस्क उत्खनन के लिए 570.10 हे० वन क्षेत्र मे खनन पट्टा तथा निक्षेप 04 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना हेतु बचेली वन परिक्षेत्र मे 95.13 हे० कुल 665.230 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।		
2	आवेदक-आवेदक विभाग का नाम	एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, 10-3/311 अ, खनिज भवन, मसाब टैंक, कैंसल हिल्स, हैदराबाद - 500173, तेलंगाना		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बैलाडीला लौह अस्यक खान, निक्षेप कं 04, मे लौह अयस्क उत्खनन के लिए 570.10 हे० वन क्षेत्र मे खनन पट्टा तथा निक्षेप 04 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना हेतु बचेली वन परिक्षेत्र मे 95.13 हे० कुल 665.230 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा वनमण्डल	बचेली वन परिक्षेत्र
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क: आरक्षित वन	आरक्षित वन खण्ड -	आरक्षित कक्ष क्रमांक 1826 (676), 1832 (665), 1833 (664), 1834 (666), 1841 (667), 1842 (659), 1885 (662) एवं 1886 (663)	570.10 हे०
			1826 (676), 1822 (688), 1825 (689),	95.13 हे०

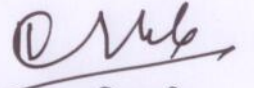
			1824 (690), 1823 (691)	
	ख : सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	ग : असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	घ : राजस्व वन क्षेत्र	—	—	—
	योग	—		665.230 हे०
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार			
7	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण			
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति			
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)			राष्ट्रीय राजमार्ग से 22 कि.मी. पर स्थित है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।			नहीं
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)			नहीं

12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तों संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं
-----	--	------

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण :-
दिनांक :- 21/09/2015


वन मण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वन मण्डल
दन्तेवाड़ा